पी0के0 गंगवार पी0सी0एस0 कुलसचिव

किया जायेगा।



उ०प्र० प्राविधिक विश्वविद्यालय

आई०ई०टी० परिसर, सीतापुर रोड, लखनऊ— 226021 पत्रांक : उ०प्र०प्राठि० / कुस०का० / स०वि० / 8012 - 8242

दिनांक 20.08.2014

College Code:

032

Director ABES Engg.College,Ghaziabad

विषय:- शैक्षिक सत्र 2014 . 15 की अस्थायी सम्बद्धता (Provisional Affiliation) के सम्बन्ध में।

चयर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने की अपेक्षा है विश्वविद्यालय के पत्र संख्या : उठप्रविद्यालय/कृसवकाव/2014/5401-7459 दिनांक 24.07.2014 को "निर्गत (Provisional Affiliation) पत्र के कम में आंशिक संशोधन करते हुए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा प्ररिषद, नई दिल्ली के द्वारा प्राप्त अनुमोदन के आधार पर विश्वविद्यालय/उठप्रविश्वासन की सम्बद्धता समिति द्वारा की गई संस्तुतियों के द्वारा शासन के पत्र संख्या 1875/सोलह(03)/2014 दिनांक 03.06.2014 एवं पत्र संख्या 2086/सोलह(03)/2014 दिनांक 10.07.2014 को निर्गत आदेश के कम में उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 की घारा 23(2) के अधीन माठ कार्यपरिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में संस्थान को निम्नानुसार प्रवेश क्षमता के साथ

Branch Name		lst Shift	lind Shift
Civil Engg.		120	
Computer Sc. & Engg.		180	60
Information Technology		120	
Master of Computer Application		120	
Electrical & Electronics Engg.		120	
Electronics & Communication Engg.		180	60
Mechanical Engg.		120	60
M		120	60

स्वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निम्निलिखत शर्तों के अधीन शैक्षिक सत्र 2014 हेतु दिनांक 01.07.2014 से विश्वविद्यालय के द्वारा अस्थाई सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1 संस्था द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/च.प्र.प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित भूमि, भवन अवस्थापना सुविधाएं, पाठ्यकम हेतु निर्धारित पठन—पाठन/पाठ्यचर्या, प्रयोगशाला हेतु निर्धारित प्रमकरण, फैकल्टी अनुपात, रैगिंग निरोधक तथा विश्वविद्यालय के निरीक्षक मण्डल द्वारा संस्था के निरीक्षण में दर्शायी गई किमयों/मानकों को पूर्ण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में संस्था को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता जितः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धतंत्र का होगा।

2 निरीक्षण मण्डल द्वारा अन्य गतिविधियों के साथ-साथ संस्था के लेखा का आडिट भी विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी समय

- 3. बी.फार्न./एम.फार्म./बी.आर्क./एम.आर्क. पात्यकम संचालित करने वाले संस्थानों को फार्मेसी काउंसिल आफ इण्डिया एवं काउंसिल आफ आिकेटिक्यर के द्वारा पाठ्यकम संचालन हेतु निर्धारित मानक एवं संबंधित काउंसिल का अनुमोदन भी प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में संस्था को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धतंत्र का होगा।
- 4. संस्था प्रविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन/उ०प्र० प्रविधिक विश्वविधालय द्वारा प्रवेश/शुल्क के सम्बन्ध में समय—समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों का अनुमालन सुनिश्चित करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित नियमानुसार अनुमन्य फीस ही प्रवेशित छात्रों से लेगी द्वारा शिक्षण प्रशिक्षण से सम्बन्धित शासन/विश्वविद्यालय द्वारा वांछित सूचना समय से उपलब्ध करायेगी, अन्यथा सम्बद्धता सम्बन्धी विशेषाधिकार को कम करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

5. संरथा को सम्बद्धता प्राप्त हो जाने के उपरान्त यदि संस्था द्वारा दर्शायी गयी सूचनाओं / विवरण में किसी भी प्रकार की जुटि शासन / विश्वविद्यालय के संज्ञान में आती है तो संस्था को प्रदत्त अरथाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त सगक्षी जायेगी।

6. उठप्राठचाविधिक विश्वविद्यालयं के प्रथम विनियम २०१० में प्रदत्त अध्याय—६ (सम्बद्धता) में उल्लिखित प्राविधानों का पालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा अन्यथा की स्थिति में सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

 संस्था से एक माह के अन्दर संस्था में निदेशक / प्राचार्य एवं कार्यरत शिक्षकों की सूची तथा चयन से संबंधित समस्त अभिलेख विश्वविद्यालय को प्रस्तुत की जायेंगी ।

. संस्था के निदेशक का पद रिक्त होने के तीन माह(कार्यदिवस) के अन्दर अवश्य चयनित कर लिये जाएं, जिसकी सूचना विश्वविद्यालय की अवश्य करायें। (अध्याय: 6.15)

9. संस्था में कार्यरत शिक्षक द्वारा संस्था छोड़ने की स्थिति में 15 दिन (कार्य दिवस) के अन्दर विश्वविद्यालय को अवश्य सूचित करें। (अच्याय: 6.18) 10. शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर स्टाफ के येतन का आहरण नियमित रूप से किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा नियमानसार

कार्यवाही की जायेगी। (अध्याय: 6.25b)

11. तैंव एवं उसके उपकरणों की सम्पूर्ण विवरण संस्था के सूचना पट, वेबसाइट पर प्रदर्शित होने चाहिए एवं इसकी सूचनाएं विश्वविद्यालय को भी अवश्य सूचित करायें। (अध्याय: 6.13)

2. संस्था की समस्त सूचनाएं संस्था के सूचना पट, वेबसाइट पर प्रदर्शित होने चाहिए एवं इसकी सूचन/एं विश्वविद्यालय को भी अवश्य सूचित करायें। (अध्याय: 6.16)

13. संस्था द्वारा छात्रों से लिये गये शुल्क की सूचना संस्था द्वारा अपनी वेबसाइट पर तथा संस्था के सूचना पट पर अवश्य चस्पा की जायेगी। इसकी सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी अन्यथा संस्था के विक्रद्ध यथोचित कार्यवाही किये जाने पर विचार किया जायेगा।

14. अखिल मोरतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का अनुमोदन प्राप्त न होने अथवा समाप्त होने की दशा में सम्बद्धता का यह अनुमोदन स्वतः निरस्त हो जायेगा।

15. संस्था में पायी गयी कमियों का पूर्ण रूपेण निराकरण हो जाने के पश्चात् ही प्राविधिक विश्वविद्यालय से आगामी वर्ष अर्थात 2015—16 की सम्बद्धता विस्तारण की संस्तुति की जा सकेंगी और तभी संस्था को प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित किया जा सकेंगा।

16. संस्था का शैक्षिक सत्र के अन्तर्गत किसी भी समय आंकस्मिक निरीक्षण विश्वविद्यालय द्वारा किया जा सकता है और उक्त आंकस्मिक निरीक्षण में निर्धारित मानकों के सापेक्ष कियों के दृष्टिगत सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।

17. जिन संस्थाओं की अभातशिप एवं विश्वविद्यालय के मानकों के सम्बन्ध में शासन अथवा विश्वविद्यालय स्तर से कोई निरीक्षण अथवा जॉच की जाती है अथवा कोई नोटिस जारी की जाती है तो सम्बन्धित संरथाओं की सम्बन्धता तद्कार्यवाही के अधीन होगी।

- 18. संस्था द्वारा प्रदेश में उत्तर प्रदेश शॅक्षणिक संस्थाओं में प्रदेश (अनुसूचित जातियों, अनुठ जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2006/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश मानकों एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमानुसार ही शुल्क के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का शुल्क न लिया जाए अन्यथा की स्थिति में सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
- 19. संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि संस्था में नवप्रवेशित/अध्ययनरत छात्रों से शुल्क वही लिये जाएं जो समय-समय पर फीस निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित की गई हो। अन्य किसी प्रकार का शुल्क/डोनेशन लेने की शिकायत पर विश्वविद्यालय द्वारा संस्था की सम्बद्धता समाप्त करने एवं संस्था को काली सूची में डालने की कार्यवाही की जायेगी।

20. AMS (Academic Monitoring System) के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा जारी परिपन्न संख्या : उ०प्र०प्रा०वि० / कुस०का० / 2014 / 4414-21, दिनांक 11.07.2014 का अनुपालन सुनिश्चित कराने की बाध्यता होगी।

21. विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक एवं परीक्षा संबंधी कार्यों हेतु शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के दिये गये दायित्वों का पालन संस्था द्वारा अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा। संस्था का यह दायित्व होगा कि वह शिक्षक अथवा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को तत्काल ही कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे। यदि कतिपय कारणोंवश ऐसा करना र भव न हो तो संस्था द्वारा विश्वविद्यालय से अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन में विचलन अथवा संस्था के आक**ि**मक निरीक्षण में किसी प्रकार की कगियाँ पायी जाने की स्थिति में संस्था की अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धतंत्र का होगा।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांकः उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- प्रमुख सिवव, महा० कुलाविपति / श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश, राजमवन, लखनऊ।
- 2. प्रगुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।
- निदेशक, समाज कल्याण, उ.प्र., लखनऊ।
- गार्ड फाइल।

भवदीय, (पीठकेठ गंगसीर) कुलसमिव

> (पी०के० गंगवार) कुलसविव